FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
नरेन्द्र सिंह रावत पुत्र नारायण सिंह सारण वाया–राणावास, मा.जं., पाली–306023		लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 44/2021
G.C.M.S. No. -2021/131
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/5/21	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 18/6/21 को पेश हो। A जिला कलक्टर, पाली	839-840 25/5/21
18/6/21	पत्रावली आज पेश हुई। उपखण्ड अधिकारी मा० जं० से ~~फ़ीक~~ प्र० (2021) ~~दिनांक~~ 8-6-21 प्राप्त हुआ है ~~जिसके~~ अनुसार अपीलार्थी को ~~[illegible]~~ प्रमाणित नियमो के साथ राशि जमा कराने बाबत लिखा है ~~[illegible]~~ प्रति प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी को पालनार्थ लिखा जावे अथवा ~~[illegible]~~ कोई बात है तो इस न्यायालय में उप० होकर प्रत्युत्तर अथवा अपना पक्ष रख सकता है इस आशय का नोटिस जारी किया जावे। ~~कि अपीलार्थी~~ अपीलार्थी अपने स्वयं के खर्चे से उप० होकर पक्ष रखना चाहे तो रख सकता है पत्रावली दिनांक 16/7/21 को पेश हो। A जिला कलेक्टर, पाली	932 21/6/21
16/7/21	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील [illegible] के अधिकार अधिनियम की धारा [illegible] (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन के [illegible] की गई है। इस न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जाने पर उन्होंने जरिये पत्रांक /आरटीआई/2021/1162 दिनांक 8/6/21 के अवगत कराया कि उनके पत्रांक /आरटीआई/2021/998 दिनांक 15/4/21 के अपीलांट को वांछित सूचना के सम्बन्ध में प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु लिखा गया था A जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:40:20 IST
Reason: SelfAttested

इस सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु इस न्यायालय द्वारा नोटिस क्र. 932 दिनांक 21/6/21 जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया गया। इस पर भी अपीलांट के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने से यह माना जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत प्रकरण में इस स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

A

जिला कलेक्टर, बाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:40:20 IST
Reason: SelfAttested